



कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड

भारत सरकार का उद्यम

एक मिनिस्ट्रल कंपनी, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

रिक्ति अधिसूचना संख्या सीएसएल/का. व प्रशा./भर्ती/सीकेएसआरयू स्था./सामान्य/2022/2

दिनांक 11 अप्रैल 2022

कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल), भारत सरकार की एक सूचीबद्ध प्रीमियर मिनी रत्न कंपनी, **सीएसएल कोलकाता पोत मरम्मत यूनिट (सीकेएसआरयू)**, कोलकाता के लिए **कामगार** श्रेणी में निम्नलिखित पदों को भरने हेतु भारतीय नागरिकों से **ऑनलाइन आवेदन** आमंत्रित करती है:-

I. पदों का नाम, शैक्षिक योग्यता और अनुभव:

तालिका - 1

क्र.सं.	पद का नाम	शैक्षिक योग्यता	अनुभव
1.	कनिष्ठ तकनीकी सहायक (इलेक्ट्रिकल)	राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड से न्यूनतम 60% अंकों के साथ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में तीन वर्षीय डिप्लोमा उत्तीर्ण।	अनिवार्य: योग्यता प्राप्त करने बाद, <ul style="list-style-type: none">पोत निर्माण/ पोत मरम्मत कंपनी यासमुद्री संबंधित इंजीनियरिंग कंपनी याइंजीनियरिंग कंपनी यासरकारी/ अर्ध- सरकारी कंपनी/ स्थापना में विद्युत प्रणालियों की स्थापना और कमीशनिंग से संबंधित कार्यों में न्यूनतम चार वर्षों का अनुभव। वांछनीय: <ul style="list-style-type: none">ईआरपी/ एसएपी/ एससीएडीए/ सबस्टेशन प्रबंधन/ ऊर्जा प्रबंधन/ कंप्यूटरीकृत वातावरण में काम करने का अनुभव।कंप्यूटर अनुप्रयोगों जैसे ऑटोकैड, एमएस ऑफिस आदि में प्रवीणता।समुद्री जहाजों के लिए क्लास नियमों और विनियमों से परिचित।



कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड

भारत सरकार का उद्यम

एक मिनिस्ट्रल कंपनी, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

क्र.सं.	पद का नाम	शैक्षिक योग्यता	अनुभव
2.	स्टोर कीपर	क) सामग्री प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ स्नातक या ख) इंजीनियरिंग (मेकानिकल/इलेक्ट्रिकल) में डिप्लोमा।	अनिवार्य: योग्यता प्राप्त करने के बाद <ul style="list-style-type: none">शिपयार्ड याइंजीनियरिंग कंपनी यासरकार/ अर्ध- सरकारी कंपनी/ स्थापना में स्टोरकीपिंग में न्यूनतम चार साल अनुभव। वांछनीय: सामग्री प्रबंधन/ ईआरपी पैकेज में विशेषज्ञता।

आवेदकों के पास बंगाली/ हिंदी में संवाद करने की क्षमता होनी चाहिए।

II. महत्वपूर्ण तिथियां:

ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत : 19 अप्रैल 2022
ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि : 10 मई 2022

III. पदों के नाम, रिक्तियों की संख्या और आरक्षण :

तालिका 2

क्र.सं.	पदों का नाम	अनारक्षित
1.	कनिष्ठ तकनीकी सहायक (इलेक्ट्रिकल)	1
2.	स्टोर कीपर	1
कुल		2

क) अपनी आवश्यकता के अनुसार रिक्तियों की संख्या बढ़ाने/घटाने या रिक्ति को न भरने या भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने का अधिकार सीएसएल पर निर्भर है।

ख) पद दिव्यांग आवेदकों के लिए पहचाना गया है जो निम्नानुसार हैं:



कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड

भारत सरकार का उद्यम

एक मिनिस्ट्रल कंपनी, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

तालिका 3

पदों का नाम	वर्ग	बेंचमार्क दिव्यांगजता
कनिष्ठ तकनीकी सहायक (विद्युत)	वर्ग (ख)	बहरा और सुनने में मुश्किल;
	वर्ग (ग)	सेरेब्रल पाल्सी, उपचारित कुष्ठ रोग, बौनापन, एसिड आक्रमण पीडितों और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी सहित गतिशील दिव्यांगजता;
स्टोर कीपर	वर्ग (ख)	बहरा और सुनने में मुश्किल;
	वर्ग (ग)	सेरेब्रल पाल्सी, उपचारित कुष्ठ रोग, बौनापन, एसिड आक्रमण पीडितों और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी सहित गतिशील दिव्यांगजता;
	वर्ग (ङ)	एकाधिक अक्षमता

IV. वेतनमान, लाभ और तैनाती का स्थान:

क) ग्रेड व वेतनमान:-

तालिका 4

ग्रेड	वेतनमान
डब्ल्यू 7	₹ 23500-77000

ख) तिथि के अनुसार मासिक परिलब्धियां:-

तालिका 5

क्र.सं.	वेतन प्रकार	राशि (₹ में)
1	मूल वेतन	₹ 23500
2	महंगाई भत्ता (वर्तमान में 29.4%)	₹ 6909
3	मकान किराया भत्ता (वर्तमान में कोलकाता में 24%)	₹ 5640
4	अन्य भत्ते	₹ 3805
	कुल	₹ 39854

ग) पद के लिए नई पेंशन योजना के तहत अन्य लाभ, अंशदायी भविष्य निधि, दुर्घटना बीमा कवरेज, अंशदायी चिकित्सा बीमा पॉलिसी के तहत चिकित्सा खर्चों की प्रतिपूर्ति, छुट्टी नकदीकरण आदि जैसा स्वीकार्य हो, लागू होगा।

घ) तैनाती सीएसएल कोलकाता पोत मरम्मत यूनिट (सीकेएसआरयू)/ सीएसएल द्वारा वांछित किसी भी अन्य सीएसएल इकाइयों/ परियोजना स्थलों पर होगी। हालांकि, परियोजना की आवश्यकताओं के आधार पर,



कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड

भारत सरकार का उद्यम

एक मिनिस्टरियल कंपनी, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

उम्मीदवार को सीएसएल की विभिन्न इकाइयों में स्थानांतरित किया जा सकता है। पदों पर नियुक्ति के साथ सीएसएल के किसी भी विभाग या ऑनबोर्ड पोत पर या किसी अन्य यूनिट/ कार्य स्थल/ भारत या विदेश के किसी भी भाग के परियोजना आरंभ किया गया, जैसे भी मामला हो, सेवा करने का दायित्व है।

V. आयु:

- क) पद के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा दिनांक 10 मई 2022 को 35 वर्ष होगी, यानी आवेदकों का जन्म दिनांक 11 मई 1987 को या उसके बाद होना चाहिए।
- ख) बेंचमार्क दिव्यांगजन (पीडब्ल्यूबीडी) और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आयु में छूट भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार होगी। फिर भी, किसी भी मामले में, आयु में सभी छूट लागू लगाने के बाद आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक न हो।

VI. चयन की रीति:

- क) पदों के लिए चयन की रीति **वस्तुनिष्ठ प्रकार की ऑनलाइन परीक्षा और विवरणात्मक प्रकार की ऑनलाइन परीक्षा** के माध्यम से होगी जो 100 अंकों में आयोजित की जाएगी और उसके अनुसार अंक दिए जाएंगे।
- ख) प्राप्त ऑनलाइन आवेदनों की संख्या के आधार पर, सीएसएल द्वारा तय की गई परीक्षा पश्चिम बंगाल में आयोजित किए जाएंगे। परीक्षा केंद्र का आबंटन सीएसएल के विवेकाधिकार पर होगा।
- ग) वस्तुनिष्ठ प्रकार की ऑनलाइन परीक्षा 75 मिनट की अवधि की होगी जिसमें निम्नलिखित क्षेत्रों में 70 बहुविकल्पीय प्रश्न शामिल होंगे। प्रत्येक प्रश्न एक अंक का है और कोई नकारात्मक अंक नहीं होगा। विवरणात्मक प्रकार की ऑनलाइन परीक्षा 60 मिनट की अवधि की होगी। वस्तुनिष्ठ और विवरणात्मक प्रकार की परीक्षा का विवरण इस प्रकार है :-

i. वस्तुनिष्ठ प्रकार की ऑनलाइन परीक्षा

सामान्य ज्ञान	-	5 अंक
तर्क- वितर्क	-	5 अंक
मात्रात्मक योग्यता	-	5 अंक
सामान्य अंग्रेज़ी	-	5 अंक
शाखा संबंधी	-	50 अंक

ii. विवरणात्मक प्रकार की ऑनलाइन परीक्षा

शाखा संबंधी	-	30 अंक
कुल	-	100 अंक

- घ) वस्तुनिष्ठ प्रकार की ऑनलाइन परीक्षा और विवरणात्मक प्रकार की ऑनलाइन परीक्षा के लिए विस्तृत पाठ्यक्रम **अनुलग्नक I** पर है। कृपया ध्यान दें कि दिया गया पाठ्यक्रम केवल सांकेतिक है और संपूर्ण नहीं है।



कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड

भारत सरकार का उद्यम

एक मिनिस्ट्रल कंपनी, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

- ड) वस्तुनिष्ठ और विवरणात्मक प्रकार की ऑनलाइन परीक्षा में उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी और पदों की मेरिट के अनुसार, उम्मीदवारों को वस्तुनिष्ठ और विवरणात्मक प्रकार की परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर प्रमाणपत्र सत्यापन के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा। यदि, एक से अधिक उम्मीदवारों द्वारा समान अंक प्राप्त किए जाते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रकार की ऑनलाइन परीक्षा के शाखा भाग में प्राप्त अंक मेरिट सूची के क्रम को निर्धारित करने का आधार होगी। उसके बाद टाई होने पर, आयु में वरिष्ठता के आधार पर संबंधित योग्यता का निर्णय किया जाएगा। न्यूनतम उत्तीर्ण अंक और उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को योग्यता के क्रम में प्रमाणपत्र सत्यापन के लिए लघुसूचीगत किया जाएगा। सभी श्रेणियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक प्रत्येक परीक्षा (वस्तुनिष्ठ और विवरणात्मक) के अंकों का 50% होगा।
- च) ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों की संख्या के आधार पर, सीएसएल विभिन्न पदों के लिए आवेदनों की जांच करने और ऑनलाइन आवेदन पोर्टल में आवेदकों द्वारा अपलोड किए गए प्रमाणपत्रों के माध्यम से निर्धारित पात्रता आवश्यकताओं को पूरा करने के आधार पर उम्मीदवारों की लघुसूची तैयार करने का अधिकार रखता है और केवल ऐसे लघुसूचीगत किए गए उम्मीदवारों को चयन प्रक्रिया में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी।

VII. शर्तें:

(क) आरक्षण:

- आरक्षण पर भारत सरकार के निदेश लागू होंगे।
- बैंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों के मामले में, दिव्यांगता की डिग्री न्यूनतम 40% होनी चाहिए। आवेदक को इसके लिए दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार नियम, 2017 के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया एक वैध दिव्यांगता प्रमाणपत्र निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत करना चाहिए।

(ख) योग्यता:

- पदों के लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता एआईसीटीई/ उपयुक्त वैधानिक प्राधिकरण/ राज्य/ केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान/ परीक्षा बोर्ड से होनी चाहिए।
- किसी भी निर्धारित योग्यता के समकक्ष योग्यता रखने वाले आवेदकों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी समकक्षता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा और ऐसे प्रमाणपत्र के बिना उनकी उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जाएगा।
- आवेदकों को पदों के लिए जमा किए गए ऑनलाइन आवेदन में अर्हक परीक्षा में उनके द्वारा प्राप्त अंकों का सटीक प्रतिशत भरना आवश्यक है। कुछ विश्वविद्यालय/संस्थान/परीक्षा बोर्ड श्रेणी या अंकों का प्रतिशत नहीं देते हैं और समग्र ग्रेड अंक आबंटित करते हैं (जैसे, सीजीपीए/ओजीपीए/सीपीआई, आदि)। यदि विश्वविद्यालय/संस्थान/परीक्षा बोर्ड कुल ग्रेड अंक को श्रेणी और/या अंकों के प्रतिशत में बदलने का मानदंड निर्धारित करते हैं, तो उसे स्वीकार किया जाएगा। हालांकि, जहां विश्वविद्यालय/संस्थान/परीक्षा



कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड

भारत सरकार का उद्यम

एक मिनिस्ट्रल कंपनी, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

कुल ग्रेड अंक को श्रेणी और/या अंकों के प्रतिशत में बदलने के मानदंड को निर्धारित नहीं करता है, वहां अपेक्षित प्रतिशत अंक प्राप्त करने के लिए कुल ग्रेड अंकों को 10 से गुणा किया जा सकता है।

(ग) अनुभव

- (i) उपरोक्त मद I के अनुसार निर्धारित योग्यता उत्तीर्ण करने की तिथि के बाद प्राप्त अनुभव पर ही विचार किया जाएगा। योग्यता के बाद के अनुभव की अवधि की गणना दिनांक 10 मई 2022 से की जाएगी।
- (ii) शिक्षु अधिनियम 1961 के तहत संगत शाखा में पूर्ण शिक्षुता प्रशिक्षण की अवधि को अनुभव के रूप में माना जाएगा। पारिश्रमिक के साथ किसी भी प्रशिक्षण को भी अनुभव के रूप में माना जाएगा।
- (iii) कंपनी अधिनियम 1956 के अधीन पंजीकृत कंपनियों और समकक्ष स्तर की विदेशी कंपनियों से प्राप्त अनुभव प्रमाणपत्र ही केवल लघुसूचीगत और चयन के लिए विचार किया जाएगा।
- (iv) आवेदक जो हाल ही में किसी कंपनी (निजी/सार्वजनिक क्षेत्र/सरकारी) में कार्यरत हैं, वे अनुभव प्रमाणपत्र के अभाव में, कंपनी द्वारा जारी नियुक्ति/प्रस्ताव पत्र की प्रति, नवीनतम वेतन पर्ची/आखिरी वेतन की प्रति अनुभव के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। पिछले रोजगार के लिए कार्यभार ग्रहण करने के साथ-साथ कार्यमुक्ति की तिथि का उल्लेख करते हुए अनुभव प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए। प्रमाणपत्र सत्यापन प्रक्रिया के दौरान, उम्मीदवारों को अपने ऑनलाइन आवेदन में जमा किए गए अनुभव को स्थापित करने के लिए सभी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए, ऐसा न होने पर, उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी और उन्हें आगे के चयन के लिए विचार नहीं किया जाएगा।
- (v) पंजीकृत कंपनियों द्वारा लगे ठेकेदारों (स्वामित्ववाली फर्मों और साझेदारी फर्मों) से प्राप्त कार्य अनुभव को ठेकेदार द्वारा जारी किए गए प्रमाणपत्रों पर प्रधान नियोक्ता के पृष्ठांकन के आधार पर माना जा सकता है। ऐसे आवेदकों को ईएसआई/इपीएफ विवरण जैसे अन्य प्रमाणों के साथ अपने अनुभव प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। प्रधान नियोक्ता के पृष्ठांकन के बिना ठेकेदारों द्वारा जारी किए गए प्रशिक्षण प्रमाणपत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा।
- (vi) नियमित सरकारी सेवा या सरकारी स्वामित्ववाले औद्योगिक या अन्य समान संगठनों के उम्मीदवारों को आवेदन सीधे प्रस्तुत करना चाहिए। हालांकि ऐसे उम्मीदवारों को एक घोषणा पत्र (अनुलग्नक- II के अनुसार) प्रस्तुत करना है कि उन्होंने अपने नियोक्ता को लिखित रूप में सूचित किया है कि वे सीएसएल द्वारा अधिसूचित पदों के लिए आवेदन कर रहे हैं। यदि नियोक्ता से कोई भी आपत्ति प्राप्त होती है तो, ऐसे आवेदकों की उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जाएगा।



कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड

भारत सरकार का उद्यम

एक मिनिस्टरल कंपनी, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

- (vii) आवेदक जो भूतपूर्व सैनिक हैं, उन्हें **सशस्त्र बलों से सेवामुक्ति प्रमाणपत्र/बुक/पेंशन भुगतान आदेश** प्रस्तुत करना होगा। जिन भूतपूर्व सैनिकों की योग्यता उनके सेवामुक्ति प्रमाणपत्र/बुक में पृष्ठांकित है, उन्हें सशस्त्र बलों में संबंधित शाखा में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। योग्यता की समतुल्यता का दावा करने वाले भूतपूर्व सैनिकों को प्रमाणपत्र सत्यापन के दौरान अनुभव के प्रमाण के रूप में प्राधिकारियों से (भारत सरकार द्वारा जारी आदेश देखें) सेवामुक्ति प्रमाणपत्र में समतुल्यता या समर्थन का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना चाहिए, सशस्त्र बलों में उचित शाखा में योग्यता और कार्य अनुभव का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए। उन्हें संबंधित प्राधिकारियों से अनुभव प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना चाहिए, ऐसा न करने पर उनकी उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जाएगा।
- (viii) उन भूतपूर्व सैनिकों को, भूतपूर्व सैनिक के रूप में उन्हें दिए गए लाभ उठाने के बाद गैर सैनिक पक्ष पर किसी भी सरकारी नौकरी में पुनः रोजगार के उद्देश्य के लिए उनकी भूतपूर्व सैनिक स्थिति को डीओपीटी का.ज्ञा.सं. 36034/27/84-स्था (एससीटी) दिनांक 02.05.1985, 36034/6/90-स्था (एससीटी) दिनांक 02.04.1992 और 36034/1/2014-स्था (एससीटी) दिनांक 14.08.2014 द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। सभी भूतपूर्व सैनिक इस बात के लिए ऑनलाइन आवेदन के साथ एक वचन पत्र प्रस्तुत करेंगे, कि वे पूर्व सैनिकों के लिए लाभ उठाने के बाद सरकार में फिर से नियोजित नहीं किए गए हैं।
- (ix) **कर्मचारी जो वर्तमान में नियमित रोल पर सीएसएल / सीएसएल के अन्य यूनिटों में कार्यरत हैं, सीएसएल द्वारा अधिसूचित समान पदों के लिए आवेदन करने के पात्र नहीं हैं।**
- (x) आवेदकों को किए कार्यों और कर्तव्यों की प्रकृति, संबंधित कार्यों में संभाले गए दायित्वों को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करना चाहिए, साथ ही अधिसूचित पद के लिए उनके ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करते समय इसके प्रमाण में अनुभव प्रमाणपत्र को प्रस्तुति के समय संलग्न करना चाहिए।

घ) आवेदन शुल्क:

- i) ऑनलाइन भुगतान विकल्पों (डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/ इंटरनेट बैंकिंग/ वॉलेट/ यूपीआई आदि) का उपयोग करके ₹ 400/- (गैर-वापसी योग्य, साथ ही बैंक शुल्क अतिरिक्त) आवेदन शुल्क भेजा जाना चाहिए, जिसे दिनांक 19 अप्रैल 2022 से 10 मई 2022 तक हमारी ऑनलाइन आवेदन सुविधा के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। भुगतान का कोई अन्य तरीका स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- ii) अनुसूचित जाति (अ.जा.)/अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.)/ बैंचमार्क दिव्यांग व्यक्ति (पीडब्ल्यूबीडी) से संबंधित उम्मीदवारों के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं है। उन्हें आवेदन शुल्क के भुगतान से छूट दी गई है।
- iii) सभी आवेदक जिनके लिए शुल्क लागू है, अर्थात् अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पीडब्ल्यूबीडी से संबंधित लोगों को छोड़कर, उपरोक्त खंड घ (i) में निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान करना चाहिए। यह



कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड

भारत सरकार का उद्यम

एक मिनिस्ट्रल कंपनी, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि उनकी उम्मीदवारी पर केवल आवेदन शुल्क प्राप्त होने पर ही विचार किया जाएगा।

ड) आवेदन कैसे करें

- i) **आवेदकों को वेबसाइट www.cochinshipyard.in (कैरियर पृष्ठ) पर जाकर ऑनलाइन आवेदन केलिए लिंक पर जाना चाहिए। आवेदन दो चरण होते हैं – पंजीकरण और आवेदन प्रस्तुत करना। आवेदकों को एक ही पद पर एक से अधिक आवेदन प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। एक बार प्रस्तुत किया गया आवेदन अंतिम होगा।**
- ii) अधिसूचित आवश्यकताओं को पूरा करनेवाले आवेदक ऑनलाइन आवेदन पृष्ठ के ज़रिए जाकर पंजीकरण पूरा कर सकते हैं और **दिनांक 19 अप्रैल 2022** से ऑनलाइन आवेदन सुविधा के माध्यम से अपना आवेदन ऑनलाइन प्रस्तुत कर सकते हैं और यह सुविधा हमारी वेबसाइट www.cochinshipyard.in (कैरियर पृष्ठ→ सीकेएसआरयू) के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। सीधे या किसी अन्य माध्यम से प्रस्तुत किया गया आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- iii) आवेदकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऑनलाइन आवेदन में सभी प्रविष्टियां सही ढंग से भरी गई हैं और आवेदन सफलतापूर्वक प्रस्तुत किया गया है। ऑनलाइन के माध्यम से अंतिम रूप से प्रस्तुत करने के बाद, आवेदन में प्रदान किए गए विवरण में परिवर्तन पर विचार नहीं किया जाएगा। किसी भी क्षेत्र में कचरा विवरण भरने से आवेदन को अस्वीकार किया जा सकता है।
- iv) इस विज्ञापन अधिसूचना के अनुसार आवेदन सभी प्रकार से पूर्ण होना चाहिए। **कृपया ध्यान दें कि अपूर्ण आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।**
- v) **ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन करने के बाद, आवेदकों को उनके संदर्भ केलिए सिस्टम द्वारा उत्पन्न एकमात्र पंजीकरण संख्यावाले ऑनलाइन आवेदन की एक सॉफ्ट कॉपी/ मुद्रित प्रति को अपने पास रखना चाहिए। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि, एकमात्र पंजीकरण संख्या केवल ऑनलाइन आवेदन के सफलतापूर्वक प्रस्तुति पर ही प्राप्त की जाएगी।** ऑनलाइन आवेदन पर पंजीकरण संख्या सीकेएसआरयू/सीएसएल के साथ किसी भी पत्राचार केलिए उद्धृत की जानी चाहिए।
- vi) **आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन की मुद्रित प्रति/ प्रमाणपत्र/डीडी/चालान/चेक के रूप में आवेदन शुल्क सीकेएसआरयू/सीएसएल को डाक द्वारा भेजने की आवश्यकता नहीं है।**
- vii) वेबसाइट **दिनांक 19 अप्रैल 2022** से आवेदन प्रस्तुत करने के उद्देश्य से कार्यशील रहेगी और ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि **दिनांक 10 मई 2022** है। अंतिम तिथि पर वेबसाइट पर भारी ट्रैफिक से बचने केलिए, जिसके परिणामस्वरूप आवेदन प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे सीएसएल वेबसाइट पर लॉग इन करें और अंतिम तिथि से पहले आवेदन प्रस्तुत



कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड

भारत सरकार का उद्यम

एक मिनिस्ट्रल कंपनी, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

करें। आवेदन की अंतिम तिथि को आवेदन करनेवालों को अंतिम तिथि के 1600 बजे के बाद ई-मेल/फोन द्वारा ऑनलाइन आवेदन पोर्टल में कोई समस्या निवारण सहायता/तकनीकी सहायता नहीं मिल सकती है।

च) सामान्य

- i) आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन जमा करने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि वे पद के लिए रिक्त अधिसूचना के अनुसार पात्रता आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं।
- ii) भूतपूर्व सैनिक की परिभाषा - भूतपूर्व सैनिक वह व्यक्ति है
क. जिसने भारतीय संघ की नियमित सेना, नौसेना और वायु सेना में किसी भी रैंक में योद्धा या गैरयोद्धा के - रूप में सेवा की है, और
 - (i) जो या तो अपने अनुरोध पर या नियोक्ता द्वारा अपनी पेंशन अर्जित करने के पश्चात सेवानिवृत्ति या कार्यमुक्त या ऐसी सेवा से मुक्त किया गया है; या
 - (ii) जिसे सैन्य सेवा या उसके नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण चिकित्सा आधार पर ऐसी सेवा से मुक्त किया गया हो और चिकित्सा या अन्य दिव्यांगजता पेंशन से सम्मानित किया गया हो; या
 - (iii) स्थापना में कमी के परिणामस्वरूप ऐसी सेवा से जिसे मुक्त किया गया है।

ख. जो इस तरह की सेवा से अनुबंध की विशिष्ट अवधि को पूरा करने के पश्चात, अपने स्वयं के अनुरोध के अलावा, या बर्खास्तगी, या कदाचार या अक्षमता के कारण निर्वहन के ज़रिए मुक्त किया गया हो, और एक उपदान दी गई है; और प्रादेशिक सेना के कार्मिक, अर्थात् निरंतर सन्निहित सेवा या अर्हक सेवा के टूटी हुई अवधि के लिए पेंशन धारक इसमें शामिल हैं; या

ग. सेना डाक सेवा के कार्मिक जो नियमित सेना के हिस्सा हैं और सेना डाक सेवा से पेंशन के साथ अपनी मूल सेवा में प्रत्यावर्तन के बिना सेवानिवृत्त हुए हैं, या सेना डाक सेवा से चिकित्सा आधार पर जारी किए गए हैं या सैन्य सेवा या उनके नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों से परे और चिकित्सा या अन्य दिव्यांगजता पेंशन से सम्मानित; या

घ. कार्मिक, जो अप्रैल 14, से पहले छह महीने से अधिक समय तक सेना डाक सेवा में 1987 प्रतिनियुक्ति पर थे; या

ङ. प्रादेशिक सेना के कर्मियों सहित सशस्त्र बलों के वीरता पुरस्कार विजेता; या

च. चिकित्सा आधार पर कार्यमुक्त किए गए या निकाले गए पूर्व भर्ती और जिन्हें चिकित्सा- विकलांगता पेंशन प्रदान किया जा रहा हो।



कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड

भारत सरकार का उद्यम

एक मिनिस्टरियल कंपनी, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

- iii) सीएसएल को उम्मीदवारों से शैक्षिक योग्यता/अनुभव/अन्य अधिसूचित योग्यता अपेक्षाएं के समर्थन में किसी अतिरिक्त दस्तावेज़ी विवरण मांगने का अधिकार है, जैसा कि उनके आवेदन में दर्शाया गया है, और ऐसे प्रश्नों की सूचना/उत्तर केवल ई-मेल career.cksru@cochinshipyard.in के ज़रिए ही होना चाहिए। हालांकि, सीएसएल, निर्धारित तिथि और समय के भीतर ऐसे ई-मेलों की किसी देरी/गैर-प्राप्ति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। निर्धारित तिथि और समय के बाद प्राप्त ऐसे प्रश्नों के उत्तर पर विचार नहीं किया जाएगा, और इस सिलसिले में कोई पत्राचार प्रोत्साहित नहीं किया जाएगा।
- iv) लघुसूचीगत किए गए उम्मीदवारों के मूल प्रमाणपत्रों को कार्यभार ग्रहण करते समय या सीएसएल की ओर से किसी अन्य चरण में फिर से सत्यापित किया जाएगा। आयु, योग्यता, अनुभव, जाति, दिव्यांगजता, चिकित्सा स्वस्थता आदि के प्रमाण में मूल प्रमाणपत्रों का सत्यापन और अधिसूचित पात्रता आवश्यकताओं को पूरा करने पर उम्मीदवारी पूर्ण रूप से अस्थायी है। प्रमाणपत्र सत्यापन/शामिल होने के समय यदि उपरोक्त सूचीबद्ध उम्मीदवार पात्रता आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हैं या मूल रूप में प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में विफल रहते हैं या यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि उम्मीदवार द्वारा दी गई कोई जानकारी झूठी/गलत है या किसी भी उचित जानकारी को छिपाया जा रहा है, तो उम्मीदवार के चयन पर विचार नहीं किया जाएगा और बिना किसी सूचना के उम्मीदवारी रद्द/अस्वीकार कर दी जाएगी।
- v) वस्तुनिष्ठ प्रकार की ऑनलाइन परीक्षा और विवरणात्मक प्रकार की ऑनलाइन परीक्षा के लिए भाग लेने वाले उम्मीदवारों के लिए कोई यात्रा भत्ता नहीं प्रदत्त किया जाएगा। फिर भी प्रमाणपत्र सत्यापन के लिए भाग लेने वाले अजा/ अजजा/ पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों को प्रमाण की प्रस्तुति पर अपने ऑनलाइन प्रपत्र में उल्लिखित पते से सबसे छोटे मार्ग के लिए कंपनी के नियमानुसार पद के लिए ग्राह्य आगे- पीछे के रेल के स्लीपर / बस भाड़ा की पूर्तिपूर्ति की जाएगी। उम्मीदवारों को यात्रा प्रतिपूर्ति दावा करने के लिए **खाता संख्या और आईएफएससी कोड के साथ बैंक पासबुक** के पहले पृष्ठ की प्रति प्रस्तुत करना है और प्रमाणपत्र सत्यापन के समय योग्य प्रतिपूर्ति एनईएफटी द्वारा खाते में क्रेडिट की जाएगी। केवल उपर्युक्त विवरण प्रस्तुत करने वाले उम्मीदवारों को ही यात्रा खर्च की प्रतिपूर्ति दी जाएगी। फिर भी, प्रमाणपत्र सत्यापन के समय, यदि यह पाया जाता है कि उम्मीदवार किसी भी अधिसूचित पात्रता की शर्तों को पूरा नहीं करता है तो, उसे चरण में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी और न ही कोई यात्रा भत्ते का भुगतान किया जाएगा।
- vi) **अपात्रता के मामले में आवेदन की अस्वीकृति के संबंध में किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।**
- vii) लघुसूचीगत किए गए उम्मीदवारों को डाक द्वारा बुलावा पत्र नहीं भेजा जाएगा। उन्हें बुलावा पत्र डाउनलोड करने के लिए ई मेल/ सीएसएल वेबसाइट www.cochinshipyard.in के माध्यम से सूचित किया जाएगा। **चयन प्रक्रिया की अनुसूची ईमेल / सीएसएल वेबसाइट (कैरियर पृष्ठ) के माध्यम से**



कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड

भारत सरकार का उद्यम

एक मिनिस्ट्रल कंपनी, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

लघुसूचीगत उम्मीदवारों को सूचित की जाएगी। उम्मीदवारों से अनुरोध है कि चयन प्रक्रिया से संबंधित अद्यतन के लिए उपरोक्त वेबसाइट (कैरियर पृष्ठ) को बार- बार देखें।

- viii) केवल ऑनलाइन के ज़रिए आवेदन जमा करने और चयन हेतु बुलावा पत्र जारी करने से आवेदक को उम्मीदवारी की स्वीकृति का कोई अधिकार नहीं मिल जाता या पात्रता मानदंड को पूरा करने की पावती के रूप में नहीं माना जा सकता है।
- ix) चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति चरित्र और पूर्ववृत्त के सत्यापन और यदि लागू हो तो जाति प्रमाणपत्र के सत्यापन के आधीन होगी।
- x) नियुक्ति के लिए लघुसूचीगत उम्मीदवारों को सीएसएल द्वारा निर्धारित अस्पतालों में चिकित्सा जांच किया जाना है। सीकेएसआरयू की ओर से सीएसएल के चिकित्सा अधिकारी द्वारा ऐसी चिकित्सा जांच की रिपोर्ट की जांच की जाएगी और उम्मीदवार की नियुक्ति सीएसएल के चिकित्सा अधिकारी द्वारा चिकित्सा स्वस्थता के प्रमाणीकरण के अधीन होगी।
- xi) सीएसएल सरकारी/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में पहले से कार्यरत किसी भी उम्मीदवार के पिछले रोजगार से संबंधित वेतन/ छुट्टी वेतन/ उपदान/ पेंशन योगदान आदि के लिए कोई दायित्व वहन नहीं करेगा।
- xii) सभी पदों के लिए रैंक सूची का रखरखाव किया जाएगा और केवल रैंक सूची की वैधता अवधि के दौरान कोई रिक्ति होने की स्थिति में संचालित किया जाएगा। रैंक सूची की वैधता अवधि परिणाम के प्रकाशन पर शामिल होने की सलाह देने वाले उम्मीदवारों की सूची से अंतिम उम्मीदवार की रिपोर्टिंग की तारीख से 18 महीने तक होगी, जब तक कि उसी पद के लिए एक नई अधिसूचना जारी नहीं की जाती है। जैसा कि ऊपर बताया गया है, रिक्ति को एक नई रिक्ति के रूप में नहीं माना जाएगा।
- xiii) अनुच्छेद I में दर्शाए गए पदों की संख्या वर्तमान आवश्यकता पर आधारित है और भविष्य की आवश्यकताओं के आधार पर अलग होगी और रैंक सूची की वैधता अवधि के दौरान उत्पन्न होने वाली रिक्तियों को सीएसएल के निर्णय पर उस रैंक सूची से भरा जाएगा।
- xiv) उपरोक्त या किन्हीं अन्य शर्तों के बावजूद, सीएसएल अधिसूचित रिक्तियों को न भरने का अधिकार भी रखता है। इसके अलावा, अधिसूचित रिक्तियों को भरना, रैंक सूची में उम्मीदवारों की उपयुक्तता, परियोजनाओं की उपलब्धता और नौकरी की आवश्यकताओं के अधीन होगा। यदि आवश्यक हो तो बिना किसी सूचना के या बिना कोई कारण बताए सीएसएल को भर्ती प्रक्रिया प्रतिबंधित करने / बदलने/ रद्द करने/ संशोधित करने का अधिकार है।



कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड

भारत सरकार का उद्यम

एक मिनिस्ट्रल कंपनी, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

- xv) यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि प्रस्तुत की गई कोई भी जानकारी झूठा/गलत है या उम्मीदवार पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करता है, तो उम्मीदवारी/नियुक्ति रद्द/अस्वीकार की जा सकती है।
- xvi) इस चयन से संबंधित सभी दस्तावेजों को परिणाम के प्रकाशन की तारीख से दो साल की अवधि के लिए संरक्षित किया जाएगा।
- xvii) इस विज्ञापन से उत्पन्न होने वाले किसी भी दावे या विवाद के संबंध में कोई कानूनी कार्यवाही और/ या उसके जवाब में एक आवेदन और उसके बाद चयन प्रक्रिया केवल एर्णाकुलम के न्यायालयों/ न्यायाधिकरणों/ फॉर्म में संस्थापित किया जा सकता है और ऐसे न्यायालयों/ प्राधिकरणों के पास एकमात्र और अनन्य अधिकार क्षेत्र होगा।
- xviii) इस विज्ञापन में कोई संशोधन, सुधार या परिवर्धन केवल सीएसएल वेबसाइट में प्रकाशित किया जाएगा।
- xix) कोई भी संदेह हेतु, कृपया ईमेल career.cksru@cochinshipyard.in द्वारा हमसे संपर्क करें।

“किसी प्रकार की मतार्थना अयोग्यता मानी जाएगी।”

“केवल भारतीय नागरिक ही आवेदन कर सकते हैं।”

ह/-
महाप्रबंधक (मानव संसाधन)